2012/00032

न्यायालय सहायक कलक्टर फलौदी जिला जोधपुर

बईजलास यशपाल आहूजा (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 62/2012

वादीगण

1. नसरदीन पुत्र छोटू खां
जाति मुसलमान
निवासी– बापीणी, तहसील
फलौदी

बनाम

प्रतिवादीगण

1. तहसीलदार फलौदी

वाद अन्तर्गत धारा 15,88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–

3. सिकन्द घोषी अधिवक्ता वादीगण
4. सरकारी पैरोकार

आदेश

दिनांकः– 24-12-14

वादीगण के वाद का सारांश इस प्रकार है की ग्राम बापिणी तहसील फलौदी के खेत खसरा संख्या 213 रकबा 95.04 बीघा, खसरा संख्या 214 रकबा 76.13 बीघा आया हुआ है जिसमें वादीगण का कदीमी कब्जा काश्त है जो कि भूलवंश से मरीमा बेवा गैर अली जाति मुसलमान के नाम दर्ज है। उपरोक्त भूमि पर हम वादीगण के पूर्वजो का 160 वर्ष से कब्जा एंव काश्त है तथा उक्त भूमि पर वादीगण निवास करते है जिसमें हमारी ढाणी एवं टांके व पशुओं के बाडे बने हुवे है। वक्त सेटलमेंट, सेटलमेंट अधिकारीयों द्वारा हमारों काश्त के खसरा संख्या 213 रकबा 95.04 बीघा के 1/6 हिस्सा पर, खसरा संख्या 214 रकबा 76.13 बीघा भूमि के 1/4 हिस्सा भूमि पर मृत औरत मरीमों बेवा गैर अली के नाम भूलवंश दर्ज कर दी।

ग्राम बापीणी के संख्या 213 रकबा 95.04 बीघा के 1/6 हिस्सा पर, खसरा संख्या 214 रकबा 76.13 बीघा भूमि के 1/4 हिस्सा भूमि पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें।

इस घोषणा के माफिक राजस्व रेकर्ड में मृत मुसमात मरीमों के स्थान पर वादीगण को खातेदार दर्ज कर राजस्व रेकर्ड में दुरुस्ती फरमायी जावें। खसरा संख्या 213,214 की भूमि के राजस्व रेकर्ड में रहन रखना इन्द्राज किया गया है उक्त इन्द्राज को दुरुस्त कर रहनदारो के स्थान पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। वादीगण की उपरोक्त भूमि बाबत् दिनांक 16.01.2012 एवं दिनांक 27.01.2012 को निष्पादित हकतर्कनामा एवं शुद्धिपत्र को

सहायक कलेक्टर
फलोदी (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

वादीगण के खातेदारी अधिकारों के विरुद्ध प्रभावहीन व शून्य घोषित किया जावें। तथा स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 01 इस अमर की जारी फरमाई जावे की वादीगण की कब्जा काश्त भूमि पर किसी प्रकार की रद्दोबदल नही करें तथा न ही किसी प्रकार से बेदखल करें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया । उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में बताया की ग्राम बापिणी तहसील फलौदी के खेत खसरा संख्या 213 रकबा 95.04 बीघा, खसरा संख्या 214 रकबा 76.13 बीघा आया हुआ है जिसमें वादीगण का कदीमी कब्जा काश्त है जो कि भूलवंश से मरीमा बेवा गैर अली जाति मुसलमान के नाम दर्ज है। ग्राम बापीणी के संख्या 213 रकबा 95.04 बीघा के 1/6 हिस्सा पर, खसरा संख्या 214 रकबा 76.13 बीघा भूमि के 1/4 हिस्सा भूमि पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया, बाद अवलोकन पाया की वादीगण का वाद मुख्य रुप से खसरा नम्बर 213 व 214 ग्राम बापिणी की भूमि पर एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का है, वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया है जिससे यह साबित हो कि वादग्रस्त भूमि वक्त बंदोबस्त एवं उससे पूर्व वादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हो। वादीगण अपने वाद को दस्तावेजी एवं मोखिक साक्ष्यों से साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। पैरोंकार सरकार ने राजस्व मण्डल अजमेर की डबल बेंच के निर्णय भगवान व अन्य बनाम प्रभूदयाल के कायम मूकाम व अन्य आर आर टी –2018() का निर्णय पेश किया है। जिसमें मंडल की डबल बेच ने स्पष्ट निर्णय पेश किया है कि प्रतिकूल कब्जा के आधार पर वाद डिकी नही किया जा सकता है। सम्पूर्ण विचारण एवं अवलोकन पश्चात वादी का दावा दस्तावेजी एवं मोखिक साक्ष्यों से साबित नही होने एवं मण्डल के उपरोक्त निर्णय के अनुसरण में खारिज योग्य है।

आदेश

वादीगण का वाद खारिज किया जाता है, खारिज का डिकी पर्चा अलग से मुर्तिब हो।
पत्रावली फैसल शुमार होकन नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।
निर्णय आज दिनांक 24/12/19 को सरे इजलास सुनाया गया है।

यशपाल आहूजा (आर. ए. एस.)
सहायक कलक्टर
फलौदी
सहायक कलक्टर
फलोदी (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत श्री सहायक कलक्टर फलौदी

बइजलास श्री यशपाल आहूजा (आर. ए. एस.)

वादीगण

1. नसरदीन पुत्र छोटू खां
जाति मुसलमान
निवासी– बापीणी, तहसील
फलौदी

प्रतिवादी

1. तहसीलदार फलौदी

वाद अन्तर्गत धारा 15,88,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वाद संख्या 62/2012

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रुबरु मेरे व हाजिर श्री सिकन्द घोषी अधिवक्ता मिनजानिब व श्री पैरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद खारिज किया जाता है।

मुतालिक.

बाबत

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर फीस सदी सालाना आज की तारीख को अदा करें।

वसूल याबी तक

बसब्त मरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 25 माह 12 सन् 19 को जारी की गई।

दस्तखत

सहायक कलक्टर
फलौदी (जोधपुर)

ओहदा

मोहर

मुदई	रुपया	पैसे	मुदायला	रुपया	पैसे
अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मिजान	–	–	अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मिजान	–	–

नोटः– इस खर्चे के फॉर्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावें।

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Yashpal Ahuja
Date: 2020.01.09 10:48:55 IST
Reason: SelfAttested
Location: